प्रदर्श स

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला वन अधिकार समिति धमतरी जिला धमतरी (छत्तीसगढ़)

प्रमाण–पत्र

क्रमांक 33/वाचक/कलेक्टर/2016 धमतरी, दिनांक 20/01/2016

कार्यपालन अभियंता, सिविल मुख्यालय संभाग छ0ग0 राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित रायपुर को 132 के.वी. विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण कार्य हेतु धमतरी जिला स्थित तहसील नगरी के ग्राम चमेदा प.ह.न. 08/15 की बड़े झाड़ जंगल मद की राजस्व वन भूमि ख.न. 07 का भाग रकबा 1.41 हेक्टेयर एवं ख.न. 06 का भाग रकबा 0.16 हेक्टेयर कुल रकबा 1.57 हेक्टेयर के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन :–

1. प्रमाणित किया जाता है, कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत, संपूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की बड़े झाड़ जंगल मद की राजस्व वन भूमि 1.57 हेक्ट0 जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है, तथा ग्राम चमेदा तहसील नगरी में स्थित है, में तद्नुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गई है।

   ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 07.10.2015 (प्रदर्श–ब) एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श–अ) पर दर्शित है।
2. प्रमाणित किया जाता है, कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव चमेदा ग्राम के सरपंच श्री मुनेन कुमार ध्रुव की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 07.10.2015 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें दिनांक सहित) एवं इसमें 65 प्रतिशत ग्रामसभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थें जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कराकर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गई। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत् वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नही है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारको क संख्या निम्नानुसार है :–

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)
1	–	–	–

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
4. यह प्रमाणित किया जाता है, कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्रामसभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 15.01.2016 एवं 07.10.2015 के अनुसार ऐसे विलुप्त जनजाति समूह (पीटीजी) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन राजस्व वनभूमि पर निवासरत नही है, जिनका वन अधिकार "अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अनधिनियम 2006 की धारा 3(1)(e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।
5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन दिनांक 15.01.2016 एवं ग्राम सभा के दिनांक 07.10.2015 के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित राजस्व वनभूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

(भीम सिंह)
कलेक्टर
जिला धमतरी

प्रदर्श 'ब'

ग्राम सभा... हरदीभाठा ...की बैठक दिनांक 07/10/2015......का कार्यवाही विवरण

ग्राम... चमेदा
स्थान....... चौपाल भवन

आज दिनांक 07/10/2015 को ग्राम हरदीभाठा ....के सरपंच श्री / श्रीमति............ मुनेन्द्रकुमार ध्रुव...की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी है। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति.... चमेदा ....के सदस्य... 65% ....प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई। (पैंसठ प्रतिशत)

1. ग्राम... चमेदा ....में आवेदक / एजेंसी कार्यपालन अभि० (सि०) मु० सं० - छ०रा०वि० पा०क० मर्या० रायपुर (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु... X ......वनभूमि तथा ...1.57 हे. राजस्व वनभूमि कुल... 1.57 ...हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गई।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य ,उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गई है।
3. इस वन भूमि व्यवपर्तन प्रकरण के संबंध में वन संरक्षण अधिनियम 1980 या अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि ...... X ....कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है,में कोई भी आदिवासी या गैर परपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधी संपादित नहीं कर रहे है एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक)किसी आदिवासी या परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तिओं को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है :–

कमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)
X	X	X	X

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया है कि............ X ....हे. वनभूमि तथा... 1.57 ....हे. राजस्व वनभूमि, कुल योग..... 1.57 ......हे. वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स (आवेदक / एजेंसी) कार्यपालन अभि० (सि०) मु०सं० छ०रा०वि०पा०कं मर्या० - रायपुर (छ०ग०) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जाये।

संलग्न :– ग्राम सभा में इस बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों के नाम एवं हस्ताक्षर / अंगूठा निशान की सूची।

हस्ताक्षर [signature]
सरपंच
ग्राम पंचायत हरदीभाठा
वि.खं. नगरी, जि. धमतरी (छ.ग.)

नाम......
सरपच.. मुनेन्द्रकुमार ध्रुव
सील

[signature]
अध्यक्ष
वन प्रबंधन समिति
करांघाटी

हस्ताक्षर / अंगूठा निशान

कार्यालय, ग्राम-पंचायत ग्राम सभा - चमेंदा

कार्यवाही बैठक की नकल

दिनांक 30/10/2015

विकास खण्ड नगरी तहसील जिला धमतरी

सत्य प्रतिलिपि

क्रमांक	उपस्थित पंचों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
ग्राम सभा का नाम – चमेंदा ग्राम पंचा० का नाम – हरदीभाठा सम्मेलन की तारीख – 07/10/2015 समय – 12.00 बजे स्थान – आंगनबाड़ी भवन उपस्थित सदस्य सं० – म० 25 पु० 20 योग 45			आज दिनांक 07/10/2015 को ग्राम पंचायत हरदीभाठा के आश्रित ग्राम चमेंदा में ग्राम सभा की बैठक बुलाया गया जिसमें ग्राम सभा की अध्यक्षता के लिये श्री [illegible] द्वारा राम [illegible] को सर्व सम्मति से अध्यक्ष प्रस्तावित किया गया। तथा अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार बैठक की कार्यवाही नीचे लिखे अनुसार प्रारंभ किया गया।		
		प्रस्ताव क्र० (5) 132/33 के० वी० विद्युत सब स्टेशन स्थापित बाबत।	उपस्थित सदस्यों द्वारा पारित किया गया कि ग्राम चमेंदा, प०ह०नं० 15 के खसरा नं० 6 रकबा 0.16 हे० एवं खसरा नं० 7 रकबा 1.41 हे० योग 1.57 हे० शासकीय भूमि पर 132/33 के० वी० विद्युत सब स्टेशन स्थापित हेतु भूमि प्रस्तावित किया जाता है। उक्त भूमि पर शासन द्वारा विद्युत सब स्टेशन स्थापित किया जावे।		सत्य प्रतिलिपि

क्रमांक .... दिनांक .... सचिव सरपंच ग्राम पंचायत ....

सरपंच ग्राम पंचायत हरदीभाठा वि.खं. नगरी, जि. धमतरी (छ.ग.)

कार्यालय, ग्राम पंचायत हरदीभाठा

विकासखण्ड-नगरी, जिला-धमतरी (छ.ग.)

क्रमांक 48/ग्रा.पं./2015 | दिनांक 30/10/2015

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम चमेंदा प.ह.नं. 15 के ख.नं. 7 रकबा 1.41 हे. एवं ख.नं. 6 रकबा 0.16 हे. कुल रकबा 1.57 हे. में शासन द्वारा 132/33 के.व्ही. विद्युत सब स्टेशन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है जिससे ग्राम पंचायत हरदीभाठा को कोई आपत्ति नहीं है।

सरपंच
ग्राम पंचायत हरदीभाठा
वि.खं. नगरी जि. धमतरी (छ.ग.)

सरपंच
ग्राम पंचायत हरदीभाठा

वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन

वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्तावित 132/33 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित स्थल का वन एवं राजस्व अधिकारियों के द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण आज दिनांक 15.01.2016 को किया गया । प्रस्तावित स्थल वन परिक्षेत्र नगरी के अंतर्गत ग्राम चमेंदा तहसील नगरी में राजस्व वन भूमि के अंतर्गत है। जिसका प.ह.नं. 15 खसरा नं. 07 का भाग रकबा 1.41 हे. तथा खसरा नं. 06 का भाग 0.16 हें. कुल योग 1.57 हे. (3.88 एकड़) भूमि पर निर्माण कार्य प्रस्तावित है। इस स्थान पर कोई भी वन अधिकार मान्यता पत्र का वितरण नहीं किया गया है, ना ही यह क्षेत्र वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण हेतु प्रस्तावित है। प्रस्तावित स्थल 1.57 हे. (3.88 एकड़) विरल वन है। यहॉ पर 132/33 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण कार्य से वन एवं पर्यावरण को किसी प्रकार की क्षति होने की संभावना नहीं है। अतः प्रस्तावित स्थल में 132/33 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण कार्य हेतु अनुशंसा की जाती हैं ।

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि विलुप्त जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन राजस्व वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनकी वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।
2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित राजस्व वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

15/1/16

अनुविभागीय अधिकारी
उप वन मंडलाधिकारी नगरी जिला धमतरी

संयुक्त वनमंडलाधिकारी
उप वन मण्डल नगरी

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
नगरी जिला धमतरी

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
नगरी, (धमतरी) छत्तीसगढ़

मौके पर जाकर निरीक्षण किया
उपरोक्त स्थल राजस्वभूमि है.

15/1/016

वन परिक्षेत्र अधिकारी
नगरी (सा.)